संख्या–178/X–2–2018–12(63)2006

प्रेषक,

डॉ0 धीरज पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषय :वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र पोषित योजना "इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबिटैट" (90% केन्द्रांश एवं 10% राज्यांश) हेतु राज्यांश का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–26–1/2017WL दि0 23.10.2017 तथा प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या–994/3–6(IDWH) दिनांक 27.11.2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रपोषित योजना **"इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेबिटैट"** (90%केन्द्रांश एवं 10%राज्यांश) के अन्तर्गत रामनगर वन प्रभाग में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु पूर्व में आवंटित केन्द्रांश की धनराशि ₹167.40 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में राज्यांश की धनराशि **₹18.60 लाख (₹अठ्ठारह लाख साठ हजार मात्र)** निम्नलिखित लेखाशीर्षक में अवमुक्त कर व्यय हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–27

(धनराशि लाख ₹ में)

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि (राज्यांश)
2406–वानिकी तथा वन्य जीवन, 02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, 110–वन्य जीवन परीरक्षण, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0109–एनवायरमेन्ट फोरेस्ट्री एण्ड वाईल्ड लाईफ/इन्टीग्रेटेड डेवलपमैन्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटैट	
15–गाडियों का अनु0 और पेट्रोल आदि की खरीद	130
25–लघु निमार्ण कार्य	400
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	110
29 अनुरक्षण	1000
42–अन्य व्यय	200
44–प्रशिक्षण व्यय	20
योग–	**1860**

1. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 23.10.2017 द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार वर्णित कार्यमदों में ही पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा।

.....2

2. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराये न गये हों।
3. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–610/3(150)XXVII(1)/2017 दि0 30.6.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।
4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
6. आंवटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, महालेखाकार एवं शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0–27 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित लेखाशीर्षक की प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0-S1801270300 दिनांक 19.01.2018 संलग्न है।

3– ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्रसं0–147/XXVII(4)/2017-18 दिनांक 17.01.2018 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय

(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या–178/X–2–2018–12(63)2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त निदेशक, WL वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 23.10.2017 के क्रम सूचनार्थ।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।
3. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
10. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

19.1.18
(डॉ0 धीरज पाण्डेय)
अपर सचिव